अमर चित्र कथा

भारत निर्वाचन आयोग Election Commission of India

चलो करें मतदान

महत्वपूर्ण संसाधन

सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम
Systematic Voters Education And Electoral Participation
- SVEEP देश में मतदाता शिक्षा की दिशा में काम करने वाला भारत निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्यक्रम है। इसमें नागरिकों, निर्वाचकों और मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करने के लिए विकसित किए गए विभिन्न तरीके और मीडिया के माध्यम से की गई पहल शामिल हैं जिससे चुनावी प्रक्रियाओं के बारे में उनकी जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाया जा सके। ecisveep.nic.in

निर्वाचन साक्षरता क्लब Electoral Literacy Club – ELC ऐसा मंच है जिसमें छात्रों को रोचक गतिविधियों और व्यावहारिक अनुभवों में शामिल करते हुए उन्हें उनके चुनावी अधिकारों के बारे में बताया जाएगा व निर्वाचन के मूलभूत तत्वों जैसे मतदाता सूची में पंजीकरण और मतदान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। ecisveep.nic.in/files/category/12-elcs

मेक्स. डेमोक्रेसी (Mx. Democracy) एक दिलचस्प और रोमांचक डिजिटल गेम है जिसे कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर खेला जा सकता है। अपने किरदार की वेश-भूषा चुनने के बाद, खिलाडी 6 अलग-अलग मानचित्रों में पहुंचते हैं जहां वे नए पात्रों के साथ मिलकर नयी चुनौतियों का समाधान निकालते हैं, और चुनावों से जुड़े महत्त्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। इस खेल को **Google Playstore** अथवा **SVEEP** वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। ecisveep.nic.in/files/file/1155-mx-democracy-smartphone-pc-game

वॉयस.नेट/VoICE.NET (Voter Information, Communication, Education Network) – मतदाता शिक्षा पर जानकारी और अनुभवों को साझा करने के लिए एक वैश्विक ज्ञान नेटवर्क है। जिसमे प्रतिष्ठित अंतराष्ट्रीय संगठन, विभिन्न चुनाव प्रबंधन निकाय (EMBs) तथा वर्तमान में विश्व के अन्य कई सहयोगी सदस्य देश शामिल हैं। voicenet.in

'महत्वपूर्ण है मत मेरा' (My Vote Matters) & 'वॉयस इंटरनेशनल' (Voice International) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिकाएँ हैं। इनमें क्रमशः विभिन्न राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय चुनावी गतिविधियाँ, नीतियाँ, स्वीप कार्यक्रम/मतदाता शिक्षा और नई जानकारियां शामिल की जाती हैं। ecisveep.nic.in/files/category/2-publications

मतदाता हेल्पलाइन 1950

1950 भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता हेल्पलाइन है।
सूचना, प्रतिक्रिया, सुझाव या शिकायत के लिए 1950 पर फ़ोन करें।

आई.आई.आई.डी.ई.एम. (IIIDEM) : भारत निर्वाचन आयोग ने "भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान" की स्थापना प्रशिक्षण और संसाधन केंद्र के रूप में की है। iiidem.nic.in

चलो करें मतदान

©Election Commission of India

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110001
All rights reserved

Published for Election Commission of India by
Amar Chitra Katha Pvt. Ltd.

AFL House, 7th Floor, Lok Bharati Complex, Marol Maroshi Road, Andheri (East), Mumbai - 400059, India.
Email: customerservice@ack-media.com | Printed in India

मत का महत्व

हाँ, हाँ .. आ रहा हूँ। रास्ते में ही हूँ।
थप
थप
किंजल, तुम तो मेरे साथ बाज़ार चलने वाले थे न?
सॉरी, दादी, मैं तो भूल ही गया। रूपा को मेरी मदद चाहिए। उसे मतदाता पहचान पत्र (वोटर आई डी) बनवाना है।
अरे, हाँ। जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, तुमने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया?
अ ऊं.. नहीं!
तुम 19 साल के हो। तो ..
दादी, सब लोग वोट कहाँ देते हैं?
हूँ... खैर, ये दोनों रास्ते बाज़ार की ओर ही जाते हैं न?
हाँ। लेकिन हम छोटे रास्ते से जाएंगे।
नहीं। हम इस रास्ते से ही जाएंगे।

देश के कुल 543 चुनाव क्षेत्रों में चुनाव कराना विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है।

यदि हममें से ज्यादातर लोग वोट न दें तो मुट्ठी भर लोग किसी ऐसे उम्मीदवार को चुन सकते हैं जो ठीक न हो। चुनाव से पहले उम्मीदवार हमें अपनी योजनाओं की जानकारी देते हैं। सही उम्मीदवार का चुनाव कर हम अपने देश की शांति, उन्नति तथा समृद्धि तय करते हैं।
मुझे नहीं मालूम था कि मेरे वोट का इतना महत्व है।
अब तो वोट दोगे न बेटा। याद रखो, मतदान केवल हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य भी है।

पहला कदम – पंजीकरण

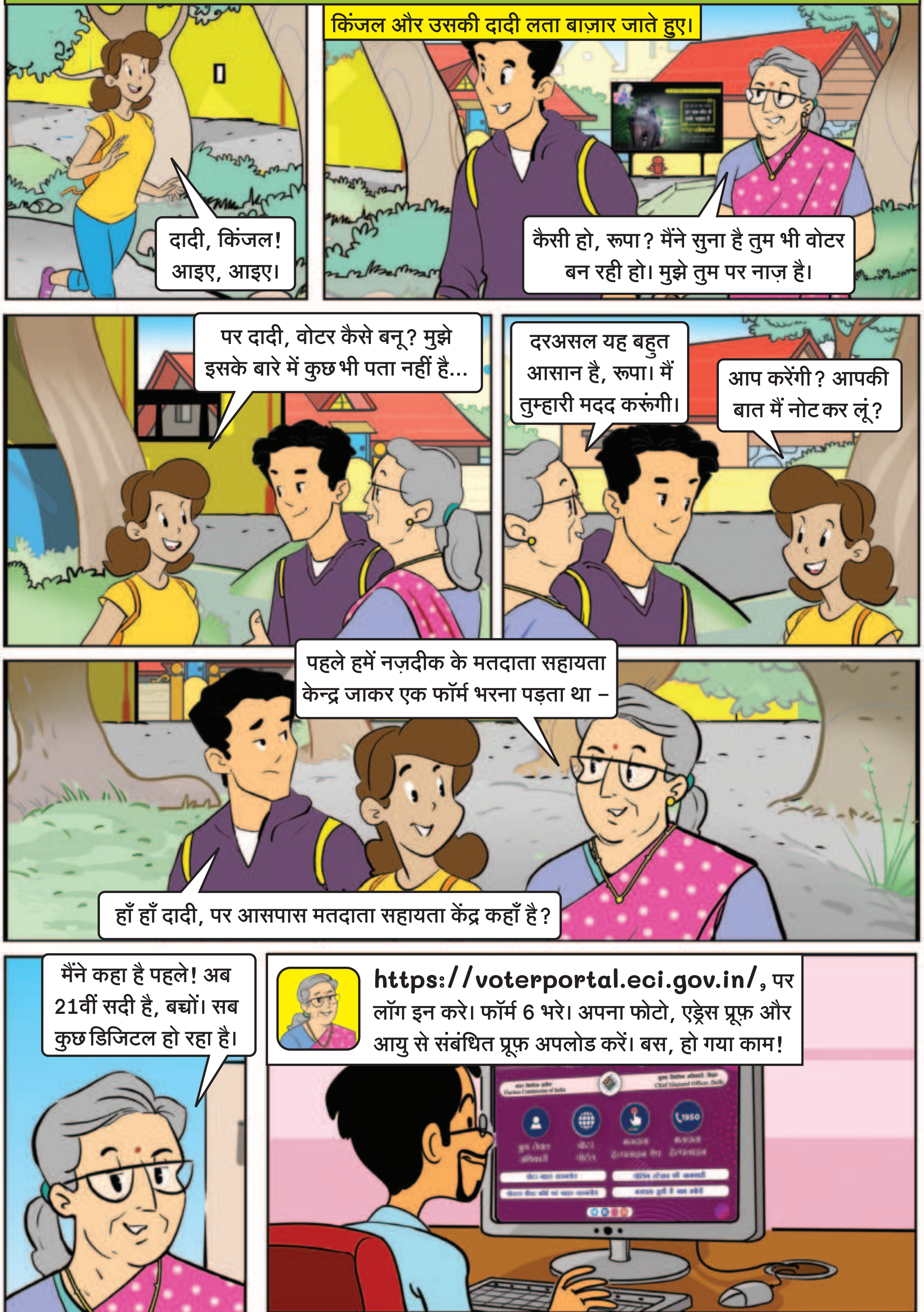

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों के लिए चुनाव का संचालन किया जाता है।

* मतदाता सूची एक ऐसी सूची है जिसमें एक निर्वाचन क्षेत्र में मत देने योग्य लोगों के नाम दर्ज होते हैं।

** भारत निर्वाचन आयोग चुनाव के समय इस बारे में अधिसूचना जारी करता है।

1947

भारत आजाद हुआ

1950

संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया

अनुच्छेद 326 के माध्यम से 21* वर्ष से ऊपर की उम्र के प्रत्येक भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया गया।

1951–52

पहले आम चुनाव 1951 से 1952 के दौरान हुए

जिनमें लगभग 17 करोड़ मतदाता थे। लोकसभा की 489 सीटों के लिए कुल 1874 उम्मीदवार खड़े हुए थे।

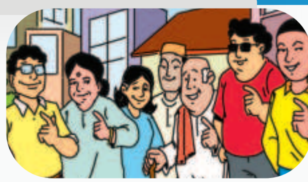

पहले आम चुनाव में, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक अलग बैलेट बॉक्स रखा गया था। देश भर के मतदान केन्द्रों से बैलेट पेपर प्राप्त करने के लिए धातु के 24,73,850 और लकड़ी के 1,11,095 बक्सों का उपयोग किया गया था।

1951 के आम चुनाव में कुछ मतपेटियों में सिंदूर, चावल और फूल पाए गए। इससे पता चलता है कि कुछ मतदाता चुनाव को एक प्रकार की दिव्यता से जोड़कर देखते थे।

1951 के आम चुनावों में भारत के लोगों को इस बारे में शिक्षित करने और बहुत सारे प्रचार की आवश्यकता पड़ी। चुनावों की अवधि के दौरान 397 अखबार छपने शुरू हुए। चुनाव के समापन पर उनमें से अधिकांश का संचालन बंद हो गया।

अमिट स्याही 1951 से हमारे चुनावों का अभिन्न हिस्सा रही है। भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने 1951 में इस स्याही का अनुसंधान किया और यह आज तक मैसूर पेंट एंड वार्निश द्वारा बनाई और चुनाव में उपयोग की जा रही है।

1951 और 2019 : अब तक की यात्रा

	लोकसभा चुनाव–1951	लोकसभा चुनाव–2019
कुल मतदाताओं की संख्या	17.3 करोड़	91.1 करोड़
मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	1.96 लाख	10.37 लाख
निर्वाचित महिलाओं की संख्या	24	78
प्रतियोगियों की कुल संख्या	1874	8054

*सन 1988 में 61 वे संविधान संशोधन द्वारा यह उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी है।

जहाँ जाएं अपना वोट साथ ले जाएं

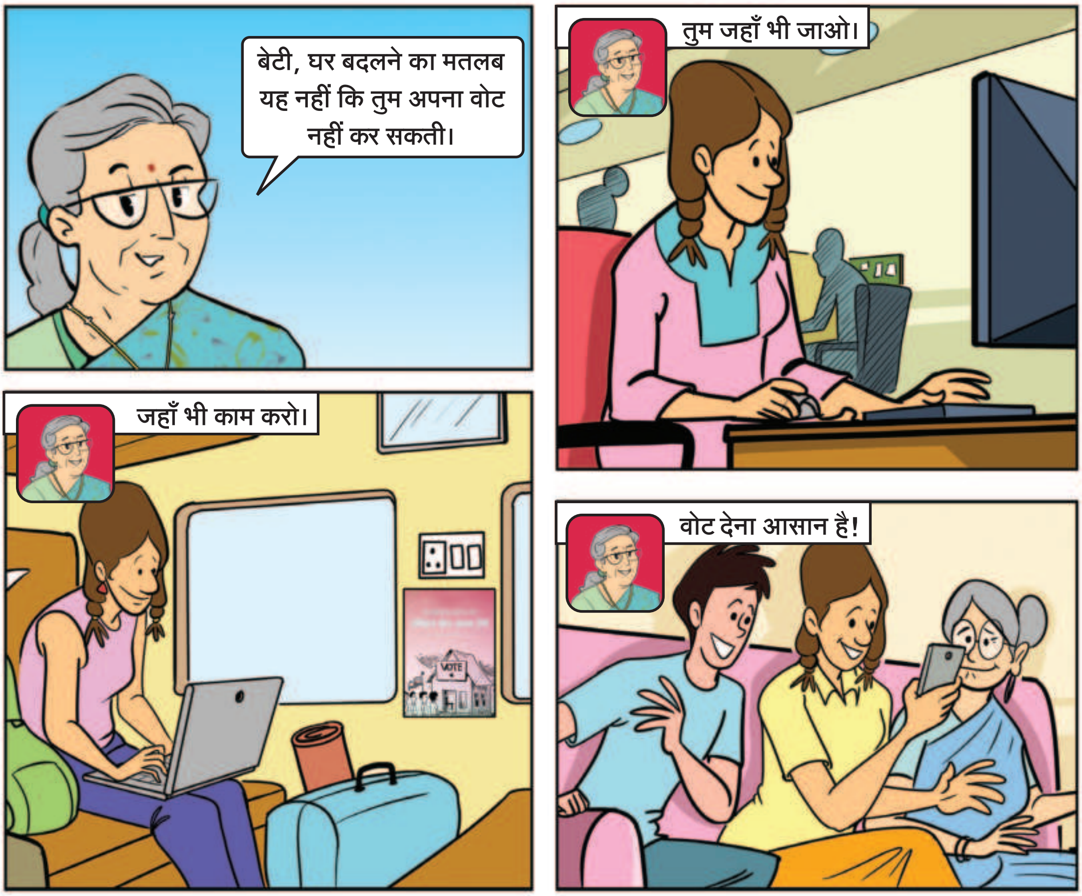

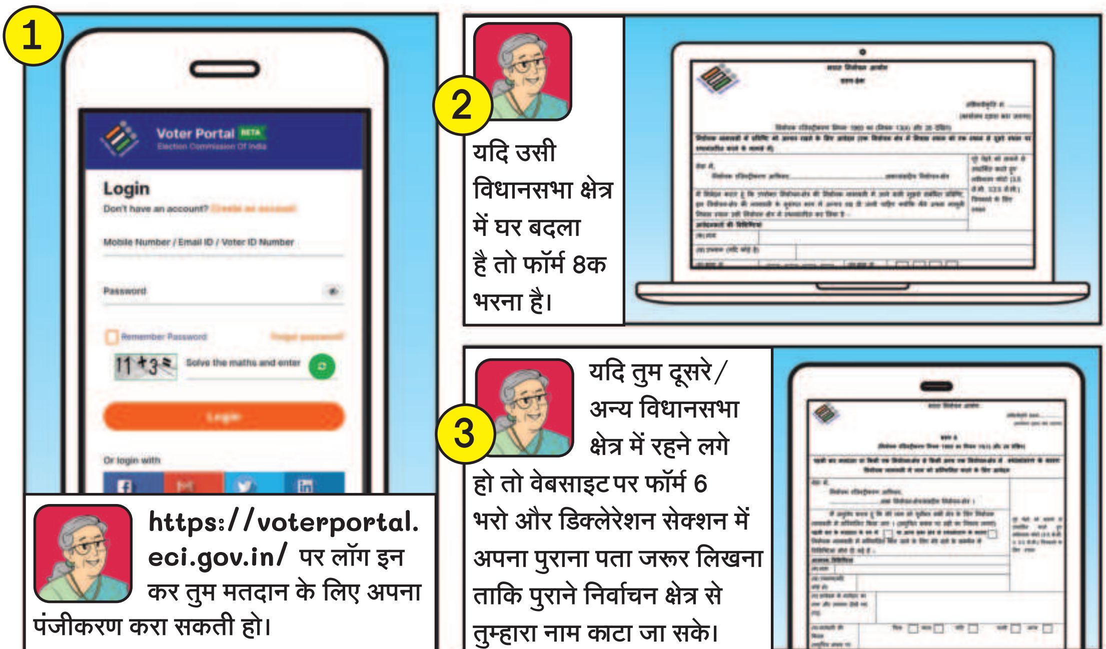

उसके बाद, अपना नया पता, फोटो और पहचान पत्र (वोटर आईडी) अपलोड कर फॉर्म जमा कर दो। फॉर्म स्वीकृत होने के बाद तुम्हारा नाम अपने आप पुरानी सूची से हटकर नयी सूची में दर्ज हो जायेगा।

पहले आम चुनाव में, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सुकुमार सेन ने मतदाता सूची में महिलाओं को 'राम की माँ', 'श्याम की बहू' जैसे नामों से नामांकित करने से इनकार कर दिया। उन्होंने महिलाओं को उनके असली नाम से सूची में शामिल किया।

अरे वाह इसका मतलब मुझे कोई कागज़ी कार्रवाई नहीं करनी है।
मैडम, मेरे वोटर आईडी में कुछ गलतियां हो गयी हैं। क्या उसे ठीक किया जा सकता है?
हाँ घनश्याम, कर सकते हो! अपने वोटर आईडी में गलत जानकारियों को ठीक करने या बदलने की सुविधा https://voterportal.eci.gov.in/ पर है। अपना नाम, पता संबंधी गलतियों को सही करने के लिए फॉर्म 8 पर क्लिक करें।
Voter Portal
What do you need to do today?
Login
Mobile Number / Email ID / Voter ID Number
Password
Solve the maths and enter
अपने सही दस्तावेज जोड़ें। बस, हो गया तुम्हारा काम! सभी फॉर्म के लिए तुम्हें एक रेफेरेंस आई डी – (विशिष्ट नंबर) दिया जायेगा। उस नंबर की सहायता से तुम अपने आवेदन के बारे में जानकारी पा सकते हो।

1971 लोकसभा चुनाव में लिंगभेद की तुलना के अंतर -11.79% की अपेक्षा 2019 के लोकसभा चुनाव में +0.17% का सुधार हुआ है। इसका अर्थ है कि 2019 लोकसभा चुनाव में पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाता अधिक थीं।

आधुनिक भारत में चुनाव

भारत निर्वाचन आयोग

संविधान के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करने से लेकर मतदान परिणाम तक, पूरी प्रक्रिया की देखरेख, निदेशन और नियंत्रण करता है।
चुनाव आयोग संसद, विधानसभाओं और विधान परिषद चुनावों के साथ-साथ भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का भी संचालन करता है।

स्वतन्त्र और निष्पक्ष

पहले कई देशों में स्वतन्त्र चुनाव आयोग होना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था - संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1974 में, ऑस्ट्रेलिया ने 1984 में, ब्रिटेन ने 2001 में और न्यूजीलैंड ने 2010 में चुनाव आयोग बनाए हैं।

चुनावों की तिथि-निर्धारण

चुनाव के लिए तिथियों का निर्धारण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए कृषि चक्र, मौसम, परीक्षा कार्यक्रम, त्योहारों और सार्वजनिक छुट्टियों के विभिन्न कारकों को ध्यान में रखना पड़ता है। याद रखें, मतदान दिवस एक आधिकारिक अवकाश होता है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकें!

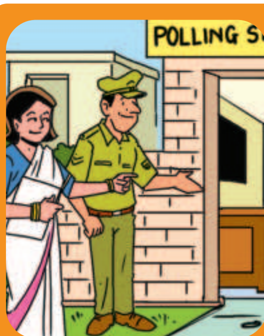

राज्य और केंद्रशासित प्रदेश

भारत के हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है जिसे राज्य द्वारा नामांकित भा.प्र.से. के वरिष्ठ अधिकारियों में से चुना जाता है। ये अधिकारी उस राज्य में चुनावी प्रक्रिया के प्रभारी होते हैं।

संवैधानिक निकाय होने के नाते, देश का भारत निर्वाचन आयोग संघ लोक सेवा आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरह उन कुछ संस्थानों में से है, जो स्वायत्त और स्वतन्त्र रूप से कार्य करते हैं।

लोकसभा 2019 के चुनावों में मतदान प्रतिशत सर्वाधिक रहा जो 67.47% है।

भारत निर्वाचन आयोग ने अब तक

17 आम चुनाव

15 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव

367 राज्य विधान सभा चुनाव

का संचालन किया है।

नैतिक और भयमुक्त मतदान

1951 - 52 के लोकसभा चुनाव में 24 महिलाओं की तुलना में 2019 के लोकसभा चुनाव में 78 महिलाएँ विजयी रहीं।

हूँ ... वोट के लिए लोगों को रिश्वत देना, उन्हें धमकाना या जाति – धर्म के नाम पर वोट डालने को कहना सरासर गलत है, अपराध है।
@#@$%
#&#!

* अर्थात सिटीजन विजिल

2019 की 17 वीं लोकसभा में मतदान 67.47% हुआ जो 1951-52 की पहली लोकसभा के 44.87% के मुकाबले काफ़ी अधिक था।

*https://affidavit.eci.gov.in ** इनमें से कोई नहीं।

आदर्श आचार संहिता

आदर्श आचार संहिता, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश हैं। चुनावों की घोषणा होने पर आदर्श आचार संहिता तुरंत लागू की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पार्टियाँ और उम्मीदवार वोट हासिल करने के लिए अनैतिक तौर-तरीके नहीं अपनाएँ। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो आपके लिए प्रासंगिक हो सकते हैं!

कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार, जाति समुदाय, धर्म या भाषा के नाम पर वोट नहीं माँगेगा या उनके बीच तनाव पैदा नहीं करेगा।

वोट हासिल करने के लिए जातिगत या सांप्रदायिक भावनाओं वाली कोई अपील नहीं की जाएगी। धार्मिक या अन्य पूजा स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा।

कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयायियों को किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, परिसर की दीवार आदि का उपयोग बिना अनुमति बैनर लटकाने, नोटिस चिपकाने या नारे लिखने आदि के लिए नहीं करने देगा।

बिना अनुमति के कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।

सभी राजनीतिक दल चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे जिससे शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित किया जा सके तथा मतदाता बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

पार्टी या उम्मीदवार को पहले से ही मार्ग, समय और स्थान बताकर जुलूस के लिए अनुमति लेनी होगी। आयोजक सुनिश्चित करेंगे कि जुलूस के दौरान यातायात में कोई अवरोध या बाधा न हो।

यदि आप आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित कोई भी घटना देखते हैं तो उसे cVIGIL ऐप पर रिपोर्ट करना न भूलें।

कोई मतदाता न छूटे

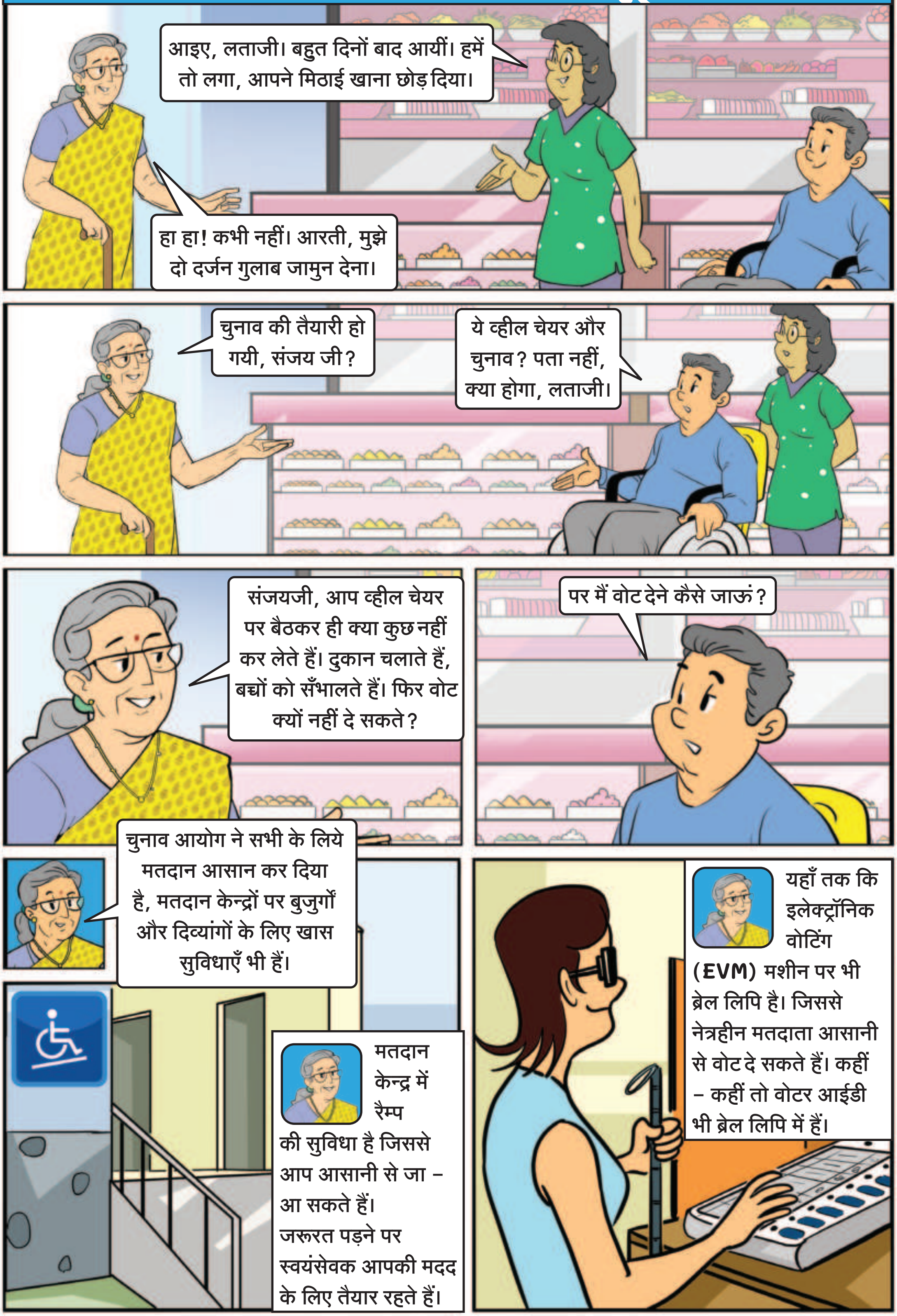

आइए, लताजी। बहुत दिनों बाद आयीं। हमें तो लगा, आपने मिठाई खाना छोड़ दिया।
हा हा! कभी नहीं। आरती, मुझे दो दर्जन गुलाब जामुन देना।
चुनाव की तैयारी हो गयी, संजय जी?
ये व्हील चेयर और चुनाव? पता नहीं, क्या होगा, लताजी।
संजयजी, आप व्हील चेयर पर बैठकर ही क्या कुछ नहीं कर लेते हैं। दुकान चलाते हैं, बच्चों को सँभालते हैं। फिर वोट क्यों नहीं दे सकते?
पर मैं वोट देने कैसे जाऊं?
चुनाव आयोग ने सभी के लिये मतदान आसान कर दिया है, मतदान केन्द्रों पर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए खास सुविधाएँ भी हैं।
मतदान केन्द्र में रैम्प की सुविधा है जिससे आप आसानी से जा – आ सकते हैं। जरूरत पड़ने पर स्वयंसेवक आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं।
यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (EVM) मशीन पर भी ब्रेल लिपि है। जिससे नेत्रहीन मतदाता आसानी से वोट दे सकते हैं। कहीं – कहीं तो वोटर आईडी भी ब्रेल लिपि में हैं।

2019 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल के लाहौल और स्पीति जिले के ताशीगंग गांव में विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई (15256 फीट) पर चुनाव केन्द्र स्थापित किया गया था।

PERSONS WITH DISABILITIES
बाकी सुविधाओं के लिए आप भारत निर्वाचन आयोग के PwD ऐप* को डाउनलोड कर सकते हैं।
इस ऐप से दिव्यांग और बुजुर्ग, पोलिंग स्टेशन जाने – आने की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर केन्द्र तक जाने – आने में एक स्वयंसेवक उनकी मदद करेगा।
POLLING BOOTH
VOTE
दिव्यांग और बुजुर्ग लोग भी मतदान के दिन से पहले व्हीलचेयर की सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
लताजी, इसका मतलब मैं भी इतनी आसानी से वोट दे सकता हूँ। वाह!
अब तो आप मुझे अच्छी छूट देंगे न?
हा हा हा!
नहीं! पर अपनी ओर से एक गुलाब जामुन ज्यादा दूँगी।

*दिव्यांगों के लिए ऐप

चुनाव की कहानियाँ!

लोकसभा चुनाव, 2019: भिवंडी संसदीय क्षेत्र की कविता ठाकरे का परिवार चिंतित था। उन्हें उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। अभी कुछ समय पहले तक वह अपनी दुल्हन की पोशाक और सुंदर कपड़े पहने हुए वहीं उपस्थित थी। आखिर यह उसकी शादी का दिन था! समय बीतने के साथ परिवार की चिन्ता बढ़ती गई, किन्तु अंतत: दुल्हन स्याही लगी उंगली के साथ वापस आई और सबसे कहा, 'अब मैं शादी करूँगी और तुम सब जाकर मतदान कर सकते हो।'

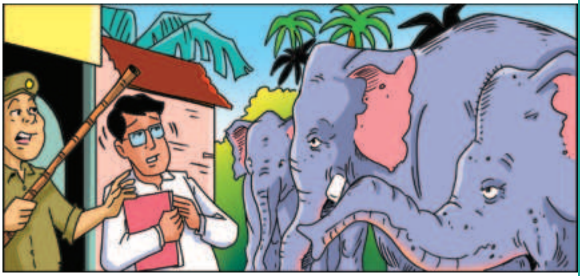

लोकसभा चुनाव, 2014: लोकसभा चुनावों के दौरान, मेघालय में 55 सलमानपारा मतदान खंड के तहत बड़ी संख्या में रहने वाले हाथियों को दूर रखने के लिए वन अधिकारियों और कर्मियों के साथ आपातकालीन बैठकें की गई थीं। छह वन कर्मियों, दो फॉरेस्टरों और चार फॉरेस्ट गाड्र्स वाली पाँच टीमों को हाथियों के कारण संवेदनशील 19 मतदान केंद्रों को कवर करने के लिए तैनात किया गया था।

लोकसभा चुनाव, 2019: सिक्किम का संघ विधानसभा क्षेत्र अपने आप में अनोखा है। इस विधानसभा क्षेत्र की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। यह क्षेत्र में रमण करते हुए बौद्ध भिक्षुकों के लिए आरक्षित है।

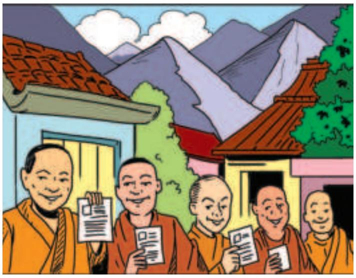

दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2020: इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में 100 वर्ष से अधिक आयु के 96 मतदाताओं ने वोट किया। जिसमे, 111 वर्षिय बचन सिंह सबसे उम्रदराज हैं। दिल्ली के ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के समय वे सिर्फ तीन साल के थे!

102 वर्षीय श्याम सरन नेगी स्वतंत्र भारत के प्रथम वोटर माने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के चिन्नी चुनाव क्षेत्र से उन्होंने पहला वोट दिया था। इन्होंने 1951-52 से लेकर अभी तक के सभी राष्ट्रीय चुनावों में मतदान किया है।

लोकसभा चुनाव, 2019: सबा और फराह जुड़वां बहनें है जो शारीरिक रूप से जुड़ीं हैं। वे बिहार में पटना के दीघा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करती हैं। उन्होंने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में एकल मतदाता के रूप में मतदान किया। हालांकि, इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने सबा और फराह को अलग-अलग व्यक्तित्व माना और उन दोनों को अलग-अलग वोट करने की अनुमति दी।

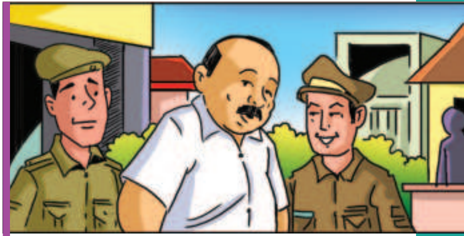

मेघालय विधानसभा चुनाव, 2008: मेघालय के रंगासकोना निर्वाचन क्षेत्र में, एडॉल्फ लू हिटलर माराक नामक एक उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा। उन्हें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर जॉन एफ. कैनेडी नाम के पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तार भी किया था। अगले दिन जॉन एफ. कैनेडी द्वारा एडॉल्फ हिटलर की गिरफ्तारी खबरों की सुर्खियों में रही! एडॉल्फ लू हिटलर माराक उस चुनाव में विजयी रहे।

मतदान का दिन

चुनाव का दिन –
मैं बहुत उत्साहित हूँ! मेरा पहला मतदान!
दादी, जरा बताइए वोट कैसे देते हैं ताकि रूपा की बेचैनी कम हो।
हाँ, अभी बताती हूँ।
मतदान स्थल पहुंचकर सबसे पहले तुम अपना बूथ ढूंढो। अन्यथा हेल्प डेस्क से पूछो।
बूथ में जाते ही अपना वोटर आईडी या आवश्यक आईडी दिखाओ। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी मतदाता सूची में तुम्हारा नाम देखकर उसकी जांच करेगा।
तुम्हारी बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर एक अमिट स्याही से निशान लगाया जायेगा।
स्याही का यह निशान पहचान के लिए होता है ताकि कोई दोबारा वोट न दे सके।

* वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल

1951 – 52 के लोकसभा चुनाव में देश में स्थापित 1.96 लाख मतदान केन्द्रों की तुलना में 2019 के लोकसभा चुनाव में 10.37 लाख मतदान केन्द्र स्थापित किए गए थे।

कुछ देर बाद –
यह सब तो बड़ा ही दिलचस्प रहा!
मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने वोट दिया।
तो चलो, मौज करें। मैं तुम दोनों को आइसक्रीम खिलाऊंगी।
दादी, आपने हमारी इतनी मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ, आपकी बातें बहुत काम आयीं। दादी, वोटिंग के बारे में आप इतना सब कैसे जानती हैं?
जब मैं स्कूल की प्रिंसिपल थी तब हम इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (निर्वाचन साक्षरता क्लब) भी चलाते थे।
इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब क्या है? हमारे स्कूल में तो नहीं था।
अब तो तुम्हारे स्कूल में भी स्थापित हो चुका होगा।
इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब भारत निर्वाचन आयोग की एक पहल है। इससे स्कूल और कॉलेज के छात्रों को सिखाया जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान कैसे होता है।
इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब में कौन – कौन शामिल हो सकते हैं?
स्कूल में नौवीं से बारहवीं कक्षा के छात्र और कॉलेज में सभी उम्र के छात्र शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा समुदाय में हर उम्र के लोगों को चुनाव पाठशाला में चुनाव के बारे में सिखाया जाता है। नौकरीपेशा, सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए वोटर अवेयरनेस फोरम हैं। ecisveep.nic वेबसाइट पर मतदाता जागरुकता संबधित पूरी जानकारी मिलती है।

हर एक वोट महत्त्वपूर्ण है! इसलिए एक अकेले मतदाता के लिए भी गुजरात में गिर के सघन वन और अरुणाचल प्रदेश के मालोगाम में मतदान केन्द्र बनाया गया।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

मशीनों ने चुनाव सामग्री की लागत में भारी कटौती की है, अवैध मतदान और मानवीय त्रुटि को अतीत की बात बना दिया है और इनसे मतगणना पहले से बहुत तेज और बाधा रहित हो गई है।

संक्षिप्त इतिहास

19 मई 1982 को पेरूर विधानसभा क्षेत्र केरल में हुए मध्यावधि चुनाव के दौरान कुल 50 ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। यह प्रयोग बहुत सफल रहा। 1982–83 में नागालैंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा विधानसभा चुनावों में और दिल्ली के महानगर परिषद चुनावों में सीमित संख्या में ईवीएम का उपयोग हुआ। 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के विधान सभा चुनावों में 16 विधानसभा क्षेत्रों में 2,930 मतदान केंद्रों पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। अंतत: 2004 के 14वें आम चुनावों में सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम का उपयोग किया गया।

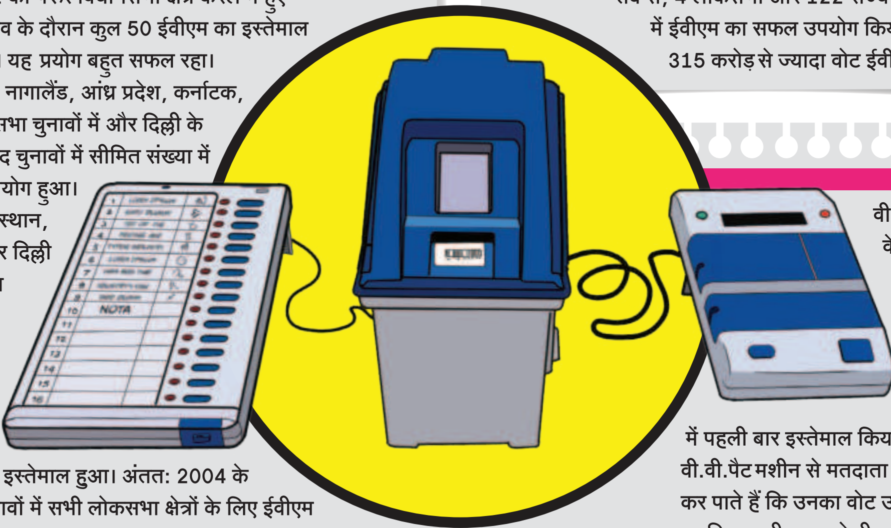

तब से, 4 लोकसभा और 122 राज्य विधानसभा चुनावों में ईवीएम का सफल उपयोग किया गया है। अब तक 315 करोड़ से ज्यादा वोट ईवीएम पर पड़ चुके हैं।

वी.वी.पैट या वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल का सितंबर 2013 में नागालैंड के 51–नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र में पहली बार इस्तेमाल किया गया था – वी.वी.पैट मशीन से मतदाता यह सत्यापित कर पाते हैं कि उनका वोट उनके द्वारा चयनित उम्मीदवार को ही गया है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह शोम्पेन जनजाति का घर है, जो पाषाण युग की अंतिम ज्ञात जनजातियों में से एक है। उन्होंने 2014 के आम चुनावों में पहली बार चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया।

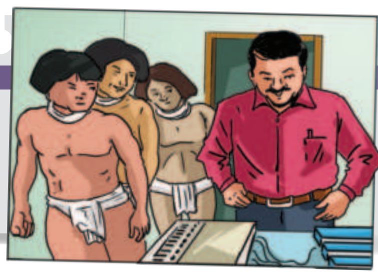

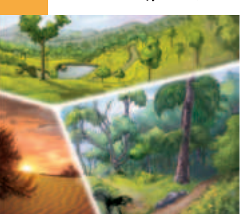

पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में, सिर्फ एक मतदाता के लिए, मतदान कर्मियों के एक दल चुनाव सामग्री को लेकर चार दिनों में 300 मील की दूरी तय की। इन चार दिनों में उन्होंने नदियों, दुर्गम पहाड़ियों, अस्थायी पुल पार किये। यह सब सिर्फ़ एक मतदाता सोकेला तैयांग, जो अपने गाँव की एकमात्र मतदाता हैं।

हिमाचल प्रदेश के ताशीगंग गाँव में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया था। यहां रैम्प, स्वयंसेवक और परिवहन जैसे सभी सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं थीं। गाँव के सभी सदस्य लोकतंत्र का जश्न मनाने के लिए अपने पारंपरिक पोशाकों में मतदान करने के लिए आए थे।

वी.वी.पैट मशीन के वास्तविक चित्र का कॉमिक रूपांतरण

सहज, सुगम, सुरक्षित मतदान

मतदाताओं की तर्जनी ऊँगली पर लगायी जानेवाली अमिट स्याही सिल्वर नाइट्रेट से बनती है।

चुनाव के दौरान आयोग ने शारीरिक तापमान की जांच जरूरी कर दी है।
POLLING BOOTH
अगर दो बार जांचने पर भी किसी का तापमान सामान्य से ज्यादा पाया जाऐगा तो उसे चुनाव के आखिरी घंटे में वोट देने के लिए एक टोकन दिया जायेगा।
वोट देते समय उनके लिए अधिक सुरक्षा का इंतजाम किया जायेगा।
स्वच्छता और सुरक्षा के लिए सभी मतदान अधिकारियों को ग्लव्स (दस्ताने), मास्क और फेस शील्ड पहनने को कहा गया है। मतदान से पहले बूथ को सैनेटाइज किया जायेगा।
वोटर होने के नाते हमें मतदान केन्द्र पर भीड़ नहीं करनी चाहिए। पड़ोसियों के साथ तालमेल बिठाकर वोट देने जाना चाहिए।
आपस में छह फीट की दूरी बनाये रखना हमारे लिए अच्छा होगा। याद रहे, मतदान के दिन छुट्टी रहती है।
6 फीट
6 फीट
6 फीट
6 फीट

भारत निर्वाचन आयोग ने अपने सिद्धांत – 'कोई मतदाता न छूटे' (No voter to be left behind) के चलते, पूरे देश के प्रत्येक वोटर तक अपनी पहुँच बनायी है।

*बी एल ओ को सूचित करके पोस्टल बैलट की सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है।

जाँचें अपना
Voter Quotient (VQ)

1 क्रम स्तर ★

1. कौनसी संस्था राज्य की विधान सभाओं और विधान परिषदों के लिए निर्वाचन संचालित करती है?
क. राज्य निर्वाचन आयोग ख. भारत निर्वाचन आयोग ग. विधान परिषद घ. पंचायत

2. लोक सभा चुनाव किस वर्ष में हुए थे?
क. 1951-52 ख. 1919 ग. 1935 घ. 1947

3. भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है?
क. 26 जनवरी ख. 25 दिसम्बर ग. 15 अगस्त घ. 25 जनवरी

2 क्रम स्तर ★★

4. किस वर्ष में अहर्क आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी?
क. 1951 ख. 1963 ग. 1989 घ. 1990

5. भारत में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं?
क. 243 ख. 343 ग. 443 घ. 543

6. भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे?
क. कल्याण सुंदरम ख. सुकुमार सेन ग. एस.पी. सेन वर्मा घ. नागेन्द्र सिंह

3 क्रम स्तर ★★★

7. निर्वाचन मानदंडों के अनुसार मतदान केंद्र से मतदाता के घर की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए?
क. 1 कि.मी. ख. 2 कि.मी. ग. 3 कि.मी. घ. 5 कि.मी.

8. नाम या अन्य विवरणों में सुधार करने के लिए कौन से प्रारूप को भरे जाने की जरूरत होती है?
क. प्रारूप 8 ख. प्रारूप 6 ग. प्रारूप 7 घ. प्रारूप 8क

9. अब तक लोक सभा के कितने चुनाव हुए हैं?
क. 14 ख. 15 ग. 16 घ. 17

10. वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है?
क. वोटर वेरिफायबल पेपल ऑडिट ट्रेल ख. मतदाता सत्यापनीय प्रिंटर एण्ड टोनर
ग. वैकेंसी वोट पेपर ऑथेंटिकेशन टेस्ट घ. सत्यापन वेक्टर प्रिंटिंग एण्ड टेस्टिंग

जाँचे अपना Voter Quotient (VQ)

4 क्रम स्तर ★★★★

11. कोई भी व्यक्ति निर्वाचक नामावली में कैसे पंजीकृत/नामांकित हो सकता है?

क. प्रारूप 6 भर कर
ख. प्रारूप 6क भरकर
ग. प्रारूप 7 भरकर
घ. प्रारूप 8 भरकर

12. मतदाता हेल्पलाइन फोन का नंबर क्या है?

क. 1950
ख. 1098
ग. 1947
घ. 1097

13. आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की शिकायत ____________ ऐप के माध्यम से की जा सकती है।

क. सी-विजिल ऐप
ख. पीडब्ल्यूडी ऐप
ग. मतदाता हेल्पलाइन नंबर
घ. बूथ ऐप

14. डाक मतपत्र की सुविधा किन्हें प्रदान की जाती है?

क दिव्यांगजन और 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक के लिए
ख. पहली बार बने निर्वाचक
ग. महिला निर्वाचक
घ. जनजातीय निर्वाचकीं

5 क्रम स्तर ★★★★★

15. निर्वाचनों से पूर्व अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार करने की क्या समय-सीमा है?

क. मतदान समाप्ति के 24 घंटे पूर्व
ख. मतदान समाप्ति के 36 घंटे पूर्व
ग. मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व
घ. मतदान समाप्ति के 72 घंटे पूर्व

16. एम 3 मॉडल के ईवीएम (2013 के बाद) अधिकतम कितने अभ्यर्थियों के लिए कार्य कर सकते हैं?

क. 24 बैलेटिंग इकाईयों को जोडक़र नोटा सहित 384 अभ्यथी
ख. 16 बैलेटिंग इकाईयों को जोडक़र नोटा सहित 256
ग. 02 बैलेटिंग इकाईयों को जोडक़र नोटा सहित 32
घ. 04 बैलेटिंग इकाईयों को जोडक़र नोटा सहित 64

17. निर्वाचन शिक्षा और सहभागिता को बढावा देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के अंग को किस नाम से जाना जाता है?

क. राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल
ख. राष्ट्रीय संपर्क केंद्र
ग. भारत अंतराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान
घ. सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम

18. मतदाता पंजीकरण के लिए इनमें से कौन-सा दस्तावेज, पते के प्रमाण के लिए मान्य/वैध नहीं होगा?

क. बैंक पासबुक
ख. पासपोर्ट
ग. कॉलेज पहचान पत्र
घ. ड्राइविंग लाइसेंस

19. नोटा का क्या मतलब है?

क. विधान सभा का नहीं
ख. आवेदकों में से कोई भी नहीं
ग. इनमें से कोई भी नहीं
घ. आवेदकों का नहीं

सही उत्तर:

क्रम स्तर 1: 1-ख, 2-क, 3-घ; **क्रम स्तर 2:** 4-ग, 5-घ, 6-ख; **क्रम स्तर 3:** 7-ख, 8-क, 9-घ, 10-क;
क्रम स्तर 4: 11-क, 12-क, 13-क, 14-क; **क्रम स्तर 5:** 15-क, 16-क, 17-घ, 18-ग , 19-ग

cVIGIL
Android App

PwD
Android App

Voter Helpline
Android App

cVIGIL
iOS App

PwD
iOS App

Voter Helpline
iOS App

Voter
Portal

ECI
SVEEP

भारत निर्वाचन आयोग Election Commission of India

अमर चित्र कथा

महत्वपूर्ण है मत मेरा!

इस यात्रा में आपका स्वागत है! हमारे मित्रों के साथ, इन चुनावों में 'कैसे सहज, सुगम और सुरक्षित मतदान करें', ये जानिये।